

लेजिस्लेशन ब्रीफ

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (एफ. आर. ए.)⁹

वन संरक्षण अधिनियम, १९८० (एफ. सी. ए.) के अंतर्गत वनों का गैर वन उपयोग

[एफ. सी. ए. के तहत वनोके गैर वन उपयोग की प्रक्रिया में एफ. आर. ए. की भूमिका के कुछ पहलू]





^{9.} याने Forest Rights Act (FRA)।

२. याने Forest Conservation Act (FCA)।



प्रस्तावना

भारत में प्रत्येक वर्ष हजारों हेक्टेयर वन भूमि को ऐसे कार्यों के लिए दिया जाता है जो वनों से संबंधित नही हैं। उपलब्ध आंकडों के अनुसार १३.०७.२०११ से १२.०७.२०१२३ के बीच १५,६३९ हेक्टेयर वन भूमि १,१२६ परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी थी। कानूनी रूप से वन भूमि का गैर वन उपयोग राज्य सरकारों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, १९८०, (एफ. सी. ए.) के तहत किया जाता हैं। राज्य सरकारों को वन भूमि का गैर वन उपयोग (विकस परियोजना आदि के लिए) करने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। वनों के संरक्षण में सहयोग करने के लिये और वनों को अनारक्षित करने के लिये वनसंरक्षण कानून बनाया गया। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६, (इसके बाद वन अधिकार कानून या एफ. आर. ए. कहा जाएगा) परंपरागत वन निवासीयों के प्रति हुए ऐतिहासिक अन्याय को दुर करने हेतू बनाया गया। यह कानून परंपरागत वननिवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देते हुए, वनों की संरक्षण व्यवस्था को मज़बूत बनाने के साथ-साथ आजीविका और खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। वन अधिकार कानून के लागू होने से गैर वन उपयोग की प्रक्रिया में एक नया आयाम जूड़ा है क्योंकि वनों के हस्तांतरण (और परिवर्तन) से वन अधिकारों की मान्यता और उन अधिकारों का प्रयोग करने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है।

एफ. सी. ए. और एफ. आर. ए. कानून संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों के तहत लागू किये जाते हैं। इस लेजिस्लेशन ब्रीफ़ में वन संरक्षण कानून की प्रक्रिया में वन अधिकार कानून की भूमिका को समझने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास के साथ ही दोनों कानूनों से जुड़े दिशानिर्देशों, सक्युंलरों तथा दी गयी संबंधित व्याख्यायों को शामिल किया गया हैं।

- 9. वन संरक्षण अधिनियम, १९८० किस प्रकार से वनों को अवनीय उद्देश्यों (ऐसे कार्य जो वनों से जुड़े नहीं है) के लिए दिये जाने को नियंत्रीत करता है?
 - वन संरक्षण कानून, १९८०, की धारा २ में बताये गये उद्देश्यों के लिये वन भूमि का गैर वन उपयोग राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकती है। धारा २ में निम्न कार्यों को बताया गया है:
 - आरिक्षत वन भूमि को अनारिक्षत करना.
 - किसी भी वन भूमि का अवनीय/गैर वन उपयोग से जुड़े उद्देश्यों के लिये उपयोग,
 - ऐसी वन भूमि जिस के ऊपर सरकार का मालिकाना/प्रबंधन/नियंत्रण नहीं है उस भूमि को संस्था, निगम या संगठन के पक्ष में निर्धारित करना,
 - वन भूमि का उपयोग वनीकरण के लिये करने हेतू वन भूमि या उसके किसी भाग में प्राकृतिक रूप से आये हुए पेडों को साफ करने के लिए।

अधिनियम की धारा ३ में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक समिती (जिसे अब वन

उह जानकारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अक्टूबर २०१२ के प्रेस विज्ञिप्ति मे दी गयी थी। मंत्रालय ने ११ वी योजना मे २.४ लाख़ हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन की अनुमित दी है।



सलाहकार समिती⁸ या एफ. ए. सी. कहते हैं) का गठन करेगी जो सरकार को निम्न विषयों पर सलाह देगी।

- धारा २ के तहत अनुमित देने, और,
- वनों के संरक्षण से जुड़े ऐसे विषयों पर जो केंद्र सरकार द्वारा समिती के पास भेजे जाते हैं।

समिती के कार्यों को एफ. सी. ए. के नियमों में बतया गया है।

एफ.सी.ए. के तहत पिरयोजनाओं के लिये वनों को दिये जाने से संबंधित अनुमति की प्रक्रिया क्या बतायी गयी है?

एफ. सी. ए. के तहत मुख्य रूप से राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को वन भूमि को गैर वन उपयोग से जुड़े कार्यों के लिये दिये जाने के पहले केंद्र सरकार की अनुमित लेना ज़रूरी है। इस प्रक्रिया को सामान्य तौर पर वन अनुमित के रूप मे जाना जाता है। इस प्रक्रिया में

■ उपयोग में लाने वाली संस्था (परियोजना विकास से जुडी संस्था/ सरकारी विभाग आदि) जो वन भूमि को गैर वन उपयोग मे लाना चाहती है, उनके लिये यह आवश्यक है की वे वन संरक्षण नियम, २००३, में दिये गये फार्मो में अपने परियोजना प्रस्ताव को अपने अपने राज्य सरकार में एफ.सी.ए. का काम देखने वाले अधिकृत नोडल अधिकारी को दें। नियम, २००३, में संलग्न फार्मों में से फार्म-A का उपयोग नयी परियोजनाओं के लिये किया जाता है जबिक फार्म-B पहले मंजूर की गयी परियोजनाओं के पट्टे को फिर से नवीनीकरण करने के लिये उपयोग में लाया जाता है। वन भूमि का उपयोग करने वाली संस्था को ऊपर बताये गये फार्मो के पहले भाग (पार्ट-I) में परियोजना से जुडी विभिन्न जानकारियों को विस्तार में बताना ज़रुरी है। इन जानकारियों में यह परियोजना वन क्षेत्र में स्थापित करने का कारण तथा लागत-लाभ विश्लेषण को विस्तार से बताना भी शामिल है।

- राज्य सरकार ने परियोजना प्रस्ताव की जांच करने के बाद संबंधित फार्म (A या B) के भाग II से V को भर कर केंद्र सरकार के पास वन भूमि के गैर वन उपयोग का प्रस्ताव भेजना जरुरी है। फार्म (A या B) के भाग II से V में जानकारी देने का काम संबंधित उप वन संरक्षक. वन संरक्षक और नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक और वन विभाग के सचिव द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जाता है। फार्म के भाग II से V पर्यावरणीय तथा सामाजिक या सांस्कृतिक जांच से जुड़े प्रावधानों के तहत परियोजना प्रस्ताव के साथ ग्राम सभा की अनुमित को संलग्न करना अनिवार्य है। इस विषय को आगे विस्तार से बताया गया है।
- राज्य सरकार ४० हेक्टेयर तक की वनभूमि वाले परियोजना प्रस्तावों (कुछ मामलों को छोडकर) को

अंग्रेजी में इसे Forest Advisory Committee या FAC (एफ.ए.सी.) कहा जाता है।



पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजती है। यदि परियोजना प्रस्तावों मे ४० हेक्टेयर से अधिक वन भूमि की मांग की गयी है तो इस तरह के प्रस्तावों को राज्य सरकार दिल्ली स्थित केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सीधे भेजती है। इसमे भी कुछ मामलों को अलग रख़ा गया है। वर्तमान में भारत मे ६ क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली अनुमति ।

क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में ख़नन और अतिक्रमण से जुड़े प्रस्तावों के इलावा ऐसे सभी प्रस्तावों को रख़ा गया है जिसमें ४० हेक्टेयर तक कि वन भूमि मांगी गयी है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ४० हेक्टेयर तक कि वन भूमि से जुड़े प्रस्तावों को क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाता है। भारत में नीचे दिये गये ६ क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को रख़ा गया है।

- चंडीगढ (उत्तरी क्षेत्र) जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ और दिल्ली।
- लख़नऊ (मध्य भारत) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान।
- शिलोंग (उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र) अरुणाचल प्रदेश, असम, मिणपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम और सिक्किम।
- ४. भुवनेस्वर (पूर्वी क्षेत्र) झारखंड, उडिसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, अंडमान

- और निकोबार द्वीप।
- पं. बैंगलोर (दिक्षणी क्षेत्र) आंध्र प्रदेश,गोवा, कर्नाटक, तिमलनाडु, केरल,पुदुचेरी और लक्ष्य द्वीप।
- ६. भोपाल (पश्चिमी क्षेत्र) मध्य प्रदेश, छत्तिसगढ, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकृत किया है कि वे केवल ५ हेक्टेयर तक के परियोजना प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय दे सकते है। क्षेत्रीय कार्यालय ५ हेक्टेयर से अधिक वन भूमि से जुड़े परियोजना प्रस्तावों को जांच करने के बाद अपनी परामर्श के साथ साथ केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास अंतिम निर्णय लेने के लिये भेज देते है।

एफ. ए. सी. के समरुप सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय सशक्त (एम्पावर्ड) समिती (आर. ई. सी.) को गठित किया जाना है जो कि ४० हेक्टेयर तक के प्रस्तावों पर निर्णय ले सकती है। परन्तु, अभी इस तरह की आर. ई. सी. का गठन किया जाना बाकी है।

राज्य सरकारों द्वारा ४० हेक्टेयर से ज़्यादा वनभूमि वाले प्रस्तावों (जिस में सभी ख़नन और अतिक्रमण के प्रस्ताव भी शामिल हैं) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास भेजा जाना चाहिये। क्षेत्रीय कार्यालय अधिकतर परियोजनाओं के लिये निर्धारित अनुपालन की शर्तों के संदर्भ में स्थान विशेष निरीक्षण और अनुमति की बाद की स्थिति पर निगरानी रख़ता है।

प्त. याने Regional Empowered Committee (R.E.C)।



- पर्यावण एवं वन मंत्रालय को भेजे गये सभी परियोजनाओं के प्रस्तावों की जांच पडताल या परिक्षण वन सलाहकार समिती करती है। समिती जांच के आधार पर (प्रत्येक प्रस्ताव के लिये) अपने विचारों और सलाह को देती है। समिती के विचारों और सलाह के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय किसी परियोजना को अनुमति देने या न देने पर अंतिम निर्णय लेता है। मंत्रालय की अनुमति समिती की दिशा-निर्देशों और स्पष्टीकरण के आधार पर दो स्तरों पर दी जाती है। पहला स्तर (स्टेज I) सैद्धांतिक अनुमति है जब की द्सरा स्तर (स्टेज II) अंतिम अनुमति है। पहले स्तर या सैद्धांतिक अनुमित मे कुछ शर्तों का पालन करने के लिये निर्देश दिया जाता है। दुसरे स्तर कि अनुमति तब दी जाती है जब पहले स्तर पर लगायी गयी शर्तों का पूरी तरह से पालन हुआ हो।
- केंद्र सरकार द्वारा किसी परियोजना प्रस्ताव को अंतिम अनुमित दिये जाने के बाद राज्य सरकार आदेश जारी करके अंतिम अनुमित में निर्धारित वन भूमि परियोजना के उद्देश्यों के लिये उपयोग करने वाली संस्था के नाम पर देती है।
- 3. वन अधिकार कानून लागू होने के पहले वनों को परियोजनाओं के लिये दिये जाने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भूमिका से जुड़े प्रावधान कौन से थे? वन संरक्षण कानून, १९८०, में स्थानीय लोगों की भागीदारी को लेकर बहुत कम संभावना

होती थी । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के

२६.२.१९९९६ के सर्कुलर में यह बताया गया है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिये वनों के गैर वन उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरण, वन भूमि एवं परिस्थितिकी क्षति के विरोध में बडी संख्या में स्थानीय निकायों और अशासकीय संगठनों ने मंत्रालय को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। सर्कुलर में यह बताया गया है की ''केंद्र सरकार यह महसूस (अनुभव) करती है की जहाँ परियोजना आने वाली है या प्रस्तावित है वहाँ के स्थानीय लोगों की सम्मति लेना ज़रूरी/आवश्यक है। इसलिए, यह निर्णय किया गया कि जब कभी भी वन भूमि परिवर्तन से जुड़े कोई भी प्रस्ताव दिया जाता है तो उस प्रस्ताव के साथ संबंधित ग्राम पंचायतों / स्थानीय निकायों की आम सभा के लिख़ित संकल्प (रजामंदी) को दिया जाना चाहिये। आम सभा का संकल्प यह प्रस्तावित गैर वन उपयोग के लिये दी जाने वाली वन भूमि के चारों ओर रहने वाले लोगों के हित में होना चाहिये। यह प्रावधान स्थानीय लोगों को गैर वन उपयोग की प्रक्रिया में शामिल होने का सैद्धांतिक रूप से अवसर देती है।

परन्तु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का दिनांक १७.८.२००० का एक सर्कुलर ऊपर बताये गये प्रावधान को कमजोर करता है। इस सर्कुलर में यह स्पष्टीकरण दिया है कि जिन परियोजनाओं के लिये जन सुनवाई ज़रूरी है (जिसमें ऐसे कई परियोजना होगी जिसके लिये पर्यावरण अनुमित की अलग से ज़रूरत होती है) और अन्य (और भी कई प्रकार की) परियोजनाओं के लिये ग्राम

६. २६.२.१९९९ का सर्कुलर विषय 'वनों का परिवर्तन ऐसे कार्यों के लिये जो वन से संबंधित नहीं हो, ऐसे सभी प्रस्तावों की जांच पडताल'।



सभाओं/स्थानीय निकायों के आम सभा की सहमित की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ लोगों द्वारा इस कदम की आलोचना यह तर्क देते हुए की गयी की जन सुनवाई और आम सभा की सहमित भागीदारी और बहस के विषय से जुड़ी दो अलग-अलग प्रक्रिया है। इसलिये जनसुनवाई का आयोजित होना आमसभा की सहमित को प्रक्रिया से अलग करने या हटाने के लिये उचित कारण नहीं है। कुछ लोगों का यह मानना है कि व्यवहारिक उद्देश्यों के लिये इस तरह की सहमित को अधिकतर प्रकरणों में नहीं मांगा गया हैं।

४. वन अधिकार कानून, २००६, के ऐसे कौनसे प्रावधान हैं जो वन संरक्षण कानून, १९८०, से संबंधित हैं?

वन भूमि के गैर वन उपयोग की किसी भी प्रक्रिया का इन वनों पर और उनके चारों ओर रहने वाले समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और जैव-सांस्कृतिक क्रिया कलापों पर गंभीर प्रभाव पड सकता है।

जैसा कि पहले बताया गया है, वन अधिकार कानून वनवासियों के ऊपर हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिये बनाया गया है। वन अधिकारों में वनों का उपयोग, प्रबंधन तथा सुरक्षित रख़ने के साथ कानूनी रूप से ऐसी वन भूमि को धारण करने का अधिकार भी शामिल है जिसमे वे पारंपारिक रूप से रहते और ख़ेती करते आ रहे हैं। वन अधिकार कानून में समुदाय के लोगों के व्यक्तिगत अधिकार के साथ समुदाय के समुदायिक अधिकारों के प्रावधान भी है। लोगों के रहने और ख़ेती करने के अधिकार के अलावा (http://tribal.gov.in/writereaddata/mainlinkfile/file1033.pdf), इस कानून में निम्नलिखत अधिकार शामिल है:

- पारंपरिक रुप से जमा किये जाने वाले लघु वनोपजों को जमा करने, उपयोग करने और बेचने का अधिकार;
- मछली तथा जल स्रोतो के अन्य उत्पादों का अधिकार;
- मवेशियों को चराने का अधिकार;
- जैवविविधता के उपयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार और पारंपारिक ज्ञान पर अधिकार;
- सामुदायीक वन संसाधनो की सुरक्षा,
 पुनः उत्पादन, संरक्षण और प्रबंधन
 का अधिकार।

एफ. आर. ए. ऊपर बताये गये अधिकारों को कानूनी रूप से निर्धारित करता है। इसके तहत किसी भी प्रकार की वन भूमि के गैर वन उपयोग की प्रक्रियाओं में स्थानीय आर्थिक तथा जीविका के मुद्दों पर विचार करना कानूनी रूप से ज़रूरी है।

इन अधिकारों में सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार है 'समुदायिक वन संसाधनों' की सुरक्षा और प्रबंधन करने के लिये दावा करना। कानून में 'समुदायिक वन संसाधन' की विस्तार से व्याख़्या दी गई है। 'समुदायिक वन संसाधन' माने समुदाय परम्परागत रुपसे जिसका उपयोग करते आ रहे है ऐसी गांव की पारंपरिक सीमाओं की भीतर की सार्वजनिक वन भूमि या चारागाही समुदायों की स्थिती में मौसमी उपयोग की जाने वाली वन भूमि। समुदायिक वन संसाधन की परिभाषा में आरिक्षत वन, संरिक्षत वन के साथ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरिक्षत क्षेत्र भी आते हैं। इसके अतिरिक्त, कानून की धारा ५ और नियम ४(ङ) (विस्तृत जानकरी के लिये आगेवाला बॉक्स देख़े) ग्राम सभाओं, अधिकार



धारकों और अन्य ग्राम स्तर के संस्थाओं को वन, वन्यजीव और जैवविविधता की सुरक्षा के साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को विनाशकारी क्रिया–कलापों से सुरक्षित रख़ने के लिये सशक्त बनाती हैं।

उपरोक्त बताये गये दोनो प्रावधान वनों के गैर वन उपयोग से सबसे ज़्यादा प्रभवित होने वाले लोगों की प्रजातांत्रिक भूमिका को महत्त्वपूर्ण रूप से निर्धारित करता है। ये प्रावधान आजीविकाओं पर पडने वाले प्रभावों और उसकी भरपाई की गणना करने तक सीमित नहीं है। बल्कि, इन प्रावधानों में यह भी शामिल है कि यदि गैर वन उपयोग से प्रकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों में प्रभाव पडने वाला है तो ऐसी स्थिति में समुदाय वनों के परिवर्तन की प्रक्रिया के प्रति असहमति देते हुए प्रक्रिया को ख़ारिज कर सकते है।

वन संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा से जुड़े एफ. आर. ए. के प्रवधान ।

एफ. आर. ए. की धारा २(क) में समुदायिक वन संसाधन की व्याख्या दी है – 'समुदायिक वन संसाधन' माने समुदाय पारंपरिक रूपसे जिसका उपयोग करते आ रहे हैं ऐसी गांव की पारंपरिक सीमाओं की भीतर की रिवाजी सार्वजनिक ''वनभूमि या चारागाही'' समुदायों के स्थिती में ''मौसमी उपयोग'' की जाने वाली वन भूमि। समुदायिक वन संसाधन की परिभाषा में आरक्षित वन, संरक्षित वन के साथ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र आते हैं। धारा ३(१) (झ) में बताया गया है कि व्यक्ति या समुदाय को ऐसे किसी समुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनरुजीवित (फिर से उगाने या उत्पादन), संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार है

जिसका वे टिकाऊ उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से सुरक्षा और संरक्षण करते आ रहे है। एफ. आर. ए. की धारा ५ वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा तथा गांव स्तर की संस्थाओं को निम्न कार्यों के लिये सशक्त करती है:

- अ) वन्यजीव, वन और जैवविविधता का संरक्षण करना।
- आ) बगल वाले जलागम क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित है, यह सुनिश्चित करना।
- इ) वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों का निवास किसी भी प्रकार की विनाशकारी गतिविधियों (जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरको प्रभावित करती है) से सुरक्षित है यह सुनिश्चित करना ।
- ई) समुदायिक वन संसाधनों के उपयोग का नियंत्रण और वन्यजीव, वन और जैवविविधता पर विपरित प्रभाव डालने वाले गतिविधियों पर रोक के विषय में ग्राम सभाओं में लिये गए निर्णयों का पालन हो रहा है, यह सुनिश्चित करना।

उपरोक्त बिंदुओं के संदर्भ मे नियम ४(१) (ङ) मे बताया गया है कि कानून की धारा ५ में बताये गये प्रावधान को पूरा करने के लिये ग्राम सभा अपने सदस्यों में से वन्यजीव, वन और जैवविविधता के संरक्षण के लिये एक समिति का गठन करेगी।

एफ. आर. ए. से संबंधित नियमों में २०१२ के संशोधन की धारा १२(१) (छ) में निर्धारित किया गया है कि 'समुदायिक वन संसाधनों



के सीमाओं में आरिक्षत वन, संरिक्षत वन, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की कानूनी सीमायें शामील हो सकती है। और यह निर्धारण समुदाय के समुदायिक वन संसाधनों का उपयोग, संरक्षण और शाश्वत उपयोग की शक्तियों को विधिवत स्थान और मान्यता देगा।

५. कौनसी परिस्थितियों में एफ.आर.ए. का गैर वन उपयोग की प्रक्रिया में प्रभाव पडेगा?

एफ. आर. ए. यह स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि सीधे तौर पर इसका प्रभाव गैर वन उपयोग की प्रक्रिया में क्या होगा। परन्तु, एफ. आर. ए. की प्रस्तावना, प्रावधानों और इससे संबंधित समय-समय पर जारी किये गये सर्कूलरों आदि को साथ साथ पढने से इस कानून के पडने वाले प्रभाव का थोड़ा-बहुत आकलन हो सकता है। एफ. आर. ए. और एफ. सी. ए. का परस्पर संबंध उस स्थिति में महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जब किसी परियोजना से किसी स्थान पर रहने वाले वननिवासियों के एफ. आर. ए. के तहत आने वाले अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है या उन्हे अपने स्थान से बेदख़ल होना पडता है। यह उन राज्यों या स्थितियों में भी लागू होता है जहाँ वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है। नीचे दी गयी स्थितियों मे एफ. आर. ए. कानून का गैर वन उपयोग की प्रक्रिया पर प्रभाव पड सकता है (नीचे बतायी गयी स्थितियां उस स्थान के संदर्भ में है जहां गैर वन उपयोग प्रस्तावित है)।

- क) एफ. आर. ए. के तहत अधिकारों की मान्यता के लिये हकदार वन निवासीयों पर पडने वाला प्रभाव,
- ख़) समुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन या पुनरुत्पाद के प्रयासों पर पडने वाला प्रभाव, और

ग) यदि ऐसी स्थिति हो जिसमे वननिवासियों को उनके अपने निवास स्थान से बेदख़ल किया जाना हो।

यहां यह जानकारी भी महत्त्वपूर्ण है कि जिन क्षेत्रों में अधिकृत रूप से एफ. आर. ए. के तहत अधिकार पाने वाला कोई भी नहीं है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार वन भूमि के उपयोग से जुड़े परियोजना प्रस्ताव के साथ ऊपर बतायें गये बिंदुओं से जुड़े साक्ष्य को प्रस्ताव के साथ जोड़ेगी। (प्रश्न ७ को भी देखें)।

ऊपर दिये गये तीन बिंदुओं को नीचे विस्तार से बताया गया हैं।

क) ऐसी स्थिती जब समुदायिक वन संसाधनों के सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन या पुनः उत्पादन के प्रयासों पर वन भूमि परिवर्तन का प्रभाव पडे।

समुदायिक वन संसाधनोंका सीधा अर्थ परम्परागत तौर पर उपयोग होने वाली सार्वजनिक वन भूमि है। एफ. आर. ए. की धारा ३(१)(झ) में बताया गया है कि वननिवासियों को उनके अपने समुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, स्रक्षा और प्रबंधन के साथ प्नः उत्पादन का भी अधिकार है। अगर गैर वन उपयोग की मांग कर रहे परियोजना का विपरीत प्रभाव सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों या वन्यजीवों, वन तथा जैवविविधता या जलागम क्षेत्रों. जल संसाधनों तथा परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों पर पडेगा यह विश्वास करने के लिये पर्याप्त तथ्य उपलब्ध होते हैं तो ग्राम सभा यह अधिकार का (एफ. आर. ए. की धारा ५ में ग्रामसभाओंको मिले शक्ती के साथ) उपयोग करके गैर वन उपयोग की प्रक्रिया रोक सकते है।



जैसा कि स्पष्ट है कि वन भूमि के गैर वन उपयोग के बाद होने वाले क्रिया–कलाप समुदायिक वनों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं तो ऐसी स्थिति में एफ. आर. ए. और एफ. सी. ए. के बीच संबंधोंको समझना जरूरी हो जाता है।

ख़) ऐसी स्थिती जहां परियोजना से जुडी गतिविधियों और प्रस्तावित वन भूमि के गैर वन उपयोग का वन अधिकारों की मान्यता के लिये हकदार वन निवासीयों पर प्रभाव पडने वालाहो:

धारा ५ वन निवासीयों को उनके प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा तथा ग्राम सभा ने लिये हुए निर्णय – जिस में समुदायिक वन संसाधनों के उपयोग को नियंत्रीत करना और वन तथा जैवविविधता पर बुरा प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिये शक्ति प्रदान करती है।

धारा ३(१) में बतायें गये अधिकतर वन अधिकार प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होने के साथ साथ समुदायिक वन संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। इसमें यह भी शामिल है कि जहां कही भी इन अधिकारों (जैसे - वनों में चराने या एन. टी. एफ. पी. के संग्रह या वन भूमि का उपयोग का अधिकार और परम्परिक स्थलों की पूजा) के उपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पडता है तो गैर वन उपयोग प्रक्रिया में संबंधित ग्राम सभाओं कि जरूरतों को सम्मान देने के साथ उनकी निर्णय लेने की शक्तियों को मान्यता देना अनिवार्य है। यह भी ध्यान रखना ज़रुरी है की उपरोक्त बतायी प्रक्रिया पूरे परियोजना क्षेत्र में लागू होने के साथ गैर वन उपयोग प्रक्रिया से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले अधिकारों (जिसमें मुआवजें के मापदंड शामिल हो) पर भी लागू होती है।

ग) यदि ऐसी स्थिति हो जिस में वननिवासियों को उनके अपने निवास स्थान से बेदख़ल किया जाना हो या बेदख़ल होना पड़े।

कानून की धारा ४(५) के अनुसार, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके अलावा, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति का या अन्य परंपरागत वन निवासीयों का कोई भी सदस्य उसके अधिकार की वन भूमि से तब तक बेदख़ल नहीं किया जायेगा जब तक की अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। जनजाती कार्य मंत्रालय ने १२.६.२०१२ को जारी किये ह्ये एफ. आर. ए. से जुड़े दिशा-निर्देशों में गैर वन उपयोग के विषय में स्पष्ट रुप से बताया है कि एफ. आर. ए. कानून की धारा ४(५) यह स्पष्ट करता है कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासीयों का कोई सदस्य उसके अधिकार की वन भूमि से तब तक हटाया नही जायेगा जब तक की वन अधिकार मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। कानून में यह प्रावधान पूरी तरह से वन निवासीयों के हित में है और उनके अधिकारों को तय किये बिना उनके बेदख़ल किये जाने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से नकारता है। इस प्रावधान की शुरुआत में ही बताया गया है की 'जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय...'। इस प्रावधान के पिछे का तर्क यह सूनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में वन निवासियों को अधिकरों की मान्यता के बिना बेदख़ल नही किया जाये क्योंकी इस तरह की स्थिती में अगर वन्यजीव संरक्षण के लिये वन भूमि



प्रतिबंधित करने या कोइ अन्य कारण के लिये गैर वन उपयोग से विस्थापन होने वाला हो तो वन निवासियों को उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिये। किसी भी स्थिति में, कानून की धारा ४(१) तहत पात्र वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देकर वे अधिकार उनको प्रदान किये जाने जरूरी हैं। और यह प्रक्रिया पूरी किये बिना किसी को भी बेदख़ल नहीं किया जायेगा।

परियोजना से प्रभावित गावों में उन गावों को भी शामिल किया जाना चाहिये जहां वन अधिकार और गैर वन उपयोग का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता है (परियोजना का प्रभाव क्षेत्र परियोजना के स्थान से बाहर भी हो सकता है)।

परियोजना का प्रभाव क्षेत्र परियोजना के स्थान से बाहर भी हो सकता है।

अक्सर परियोजना प्रस्ताव में बतायी गयी वन भूमि की सीमा के बाहर के बहुत बड़े क्षेत्र में वन अधिकारों पर प्रभाव पडता है। किसी परियोजना के लिये दी गयी वन भूमि पर परियोजना से पडने वाला पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव ज़रुरी नहीं है कि सीधे अधिग्रहित कि गयी वन भूमि तक ही सीमित रहेगा। बल्कि, इसका प्रभाव बड़े क्षेत्र में वन अधिकारों पर पड़ेगा। इस तथ्य की अनदेख़ी वर्तमान गैर वन उपयोग प्रक्रिया में की गयी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में बडी संख़्या मे बिजली उत्पादन के लिये आने वाले बांधों कि परियोजनायें इस प्रकार की है। इस में बांधों के लिये सीधे अधिग्रहित की गयी भूमि के बाहर के बड़े क्षेत्र में आने वाले स्थानीय समुदाय के वन अधिकारों पर प्रभाव पडेगा।

उत्तरी पूर्वी भारत के पहाडी क्षेत्रों में झूम (शिफ्टिंग) खेती एक प्रमुख प्रकार का परंपरिक भू—उपयोग है कि जो लोगों की आजीविका के साथ कृषी जैवविविधता का रख—रख़ाव और ख़ाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के समय में भूमि पर बढ़ते हुए दबाव के कारण झूम ख़ेती के घटना—चक्र (झूम घटना—चक्र—एक ख़ेती के स्थान पर दो फसलों के बीच का समय अन्तराल) में कमी आयी है जिसका वनो के फिर से ऊगने और उससे संबंधित पर्यावरण शाश्वतता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

बिजलि उत्पादन के लिये बने परियोजानाओं में भू-भाग जाने से झूम ख़ेती के घटना-चक्र में और भी कमी आयी है और जिससे चारों ओर के वनों पर भी दबाव बढा है। जिस के कारण पर्यावरण और आजीविका (वनों पर निर्भर लोगों के अधिकारों) पर बुरा प्रभाव पड रहा है। पड़ने वाला यह प्रभाव नदी के प्रवाह के निचले क्षेत्र में भी होता है (कि जो अधिकतर स्थितियों में वन भूमि वाला क्षेत्र होता है)। उदाहरण- १७५० मेगावाट की डेम्वे लोअर परियोजना जो कि लोहित नदी के निचले क्षेत्र में स्थित है। इससे प्राकृतिक जलप्रवाह में जोरदार बदलाव होने के कारण नदी के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा।

आगे जाके, बांध में आने वाले गाद को रोकने के लिये और बांध की आयु बढाने हेतु कुछ कड़े नियमों के तहत जलागम क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के द्वारा किये जाने वाले भू—उपयोग (वन अधिकार कानून के प्रभाव के साथ) को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस प्रकार की वन भूमि और लोगों के वन अधिकारों पर भले ही स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ रहा होता है, फिर भी गैर वन उपयोग से जुड़े इस तरह



के प्रस्तावों में इन प्रभावों की जांच नहीं की जाती है। इसका परियोजना के लिये किये जाने वाले लागत-लाभ विश्लेषण (जो वन अनुमति की प्रक्रिया से जुड़ा है) पर भी प्रभाव पडेगा. जिस में परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को भी जांचा जाता है। वन कानूनों के तहत परियोजना के लिये दिये गये वनों के हानि की भरपाई के लिये क्षतिपूर्ती उपायों को करना ज़रूरी है (उदाहरण -क्षतिपूर्ति वनिकरण)। इस क्षतिपूर्ती उपायों के कारण समुदायों के द्वारा उपयोग में लाये जा रहे अन्य वन क्षेत्रों को आरक्षित/संरक्षित वनों की श्रेणी तय कर वन विभाग के नियंत्रण में लाया गया है। इसके परिणाम स्वरूप समुदाय द्वारा उपयोग किये जाने वाली वन भूमि और संसाधनों के उपयोग की कानूनी स्थिति में बदलाव आने के साथ गंभीर ख़तरा भी होगा। उदाहरण के रूप में अरुणाचल प्रदेश के अवर्गीकृत वन वर्तमान में समुदायों के दारा बड़ी मात्रा में उपयोग में लाया जा रहा है। ऐसे वनों का आरक्षित/या संरक्षित वनों में परिवर्तन करने से स्थानीय समुदायों के अधिकारों पर पडने वाले प्रभावों की एफ. आर. ए. के संदर्भ में जांच नहीं की गयी है।

६. एफ. आर. ए. का लागू होना, विशेष कर समुदायिक वन अधिकारों की स्थिति में सरकार के विशेषअधिकार से कैसे संबंधित है?" संविधान के तहत राज्यों को अपने द्वारा दिये गये अधिकारों को वापस लेने का दिया गया विशेषाधिकार है। राज्य अपने विशेषाधिकार के तहत किसी भी ग्राम पंचायत या गांव को जिमन पे दिये गये मालिकाना हक को अपने नियंत्रण में ले सकता है (चाहे वह समुदाय की सार्वजनिक भूमि क्यो न हो)। परन्तु, सी.एफ.आर. मिल जाने के बाद समुदायों को यह हक है कि वह राज्यों के इस कदम का विरोध करे या बदले में अच्छे और उपयुक्त मुआवज़ेकी मांग करे। इसके दूसरे पक्ष को समझते हुए यह भी व्याख़्या की जा सकती है कि सरकार के विशेषअधिकार को इस तथ्य के आधार पर रोका जा सकता है कि एफ.आर.ए. के तहत दिये गये समुदायिक वन अधोकारों को वापस नहीं किया जा सकता है और न ही दूसरे को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस तथ्य में यह भी शामिल किया जा सकता है कि समुदायों को कानून में वनों और परंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिये सशक्त किया गया है। परन्तु यह व्याख़्या इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायालय के अन्दर और बाहर इसकी कितनी वैधानिक स्विकार्यता है। एफ.आर.ए. और सी.एफ.आर. के प्रावधान राज्यों के विशेषाधिकार के तहत होने वाले वनभूमि के गैर वन उपयोग की प्रक्रिया को विरोध करने के लिये पूरी तरह का आश्वासन नहीं देते है। लेकीन यह प्रावधान समुदायों को प्रमुख भूमिका में रख़ने के साथ अधिकारों की मान्यता लेना और अगर यह अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो उनके ख़िलाफ लढने की शक्तियां देते हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता है कि सी. एफ. आर. कि प्रक्रिया गैर वन उपयोग

इसमे बतायी गयी जानकारी कांची कोहली, आशीष कोठारी और पी पिल्लई लिखित और कल्पवृक्ष, दिल्ली/पुणे और ग्रीनपीस भारत, बैंगलुरु संस्थाओं द्वारा प्रकाशित Countering Coal? Community Forest Rights and Mining Regions of India, 2012 इस पुस्तक से ली गयी है।

अंग्रेजी में इसे Eminent Domain Power कहा जाता है।



से सबसे ज़्याादा प्रभावित होने वाले लोगों के निर्णय लेने के पक्ष में है। परंन्तु सी. एफ. आर. जैसे कई समाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक तथ्य हैं जो समुदाय या राज्य के अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं।

विशेषाधिकार निजी संपत्ति को अपने अधिकार में लेने की सरकार की शक्तियां है।

मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९(१) (च) के तहत नागरिकों को संपत्ति जमा करने, रख़ने और बिक्रि/विन्यास का अधिकार दिया गया था। जब कि संविधान के अनच्छेद ३१ में बताया गया है कि कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ती को उसकी संपत्ति से बेदखल नही किया जा सकता। इस में यह भी बताया गया था की यदि किसी व्यक्ती की संपत्ति को जनहित के लिये अधिग्रहित किया गया है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी। ऊपर बताये दोनों अन्च्छेदों को पहले मूलभूत अधिकारों में रखा गया था, जिसे बाद में निकाल दिया गया। इन दोनों अनुच्छेदों के स्थान पर अनुच्छेद ३०० (क) जोडा गया जो यह बात बताता है कि कानून द्वारा सुरक्षित किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से बेदख़ल नही किया जा सकता है। संविधानिक अधिकारों मे बताये गये संपत्ति के अधिकार की व्याख्या स्टेट्अरी कानून की संभावना को बताता है जिससे राज्य को भूमि को कब्जे में लेने की शक्तियां होगी। इसमे इसके गलत उपयोग कि संभावना भी हो सकती है।

वन अधिकार और विशेषाधिकार: वेदान्ता केस राज्य सरकार को अपनी विशेषाधिकार की शक्तियों उपयोग निजी लाभों के लिये स्थानीय समुदायों से भूमि लेने में होगा यह हमेशा जरुरी नहीं है। इसको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सर्वोच्च न्यायालय को दिये गये शपथनामे और उससे संबंधित १८.३.२०१३ के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में देख़ सकते हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार उडीसा में लांजीगढ बॉक्साईट ख़नन के लिये वेदांता कंपनी को दी गई पर्यावरण अनुमति को निरस्त करने का फैसला उचित है, क्यों कि वन अधिकार कानून के तहत वन भूमि को नही दिया जा सकता है। अपने शपथनामे में मंत्रालय ने बताया की इस बॉक्साईट ख़नन के लिये प्रस्तावित वन भूमि का गैर वन उपयोग की वजहसे डोंगरिया कोंढ जनजाति के सदस्यों के मूलभूत अधिकरों के साथ वन अधिकार कानून के तहत आने वाले अतिसंवेदनशील जनजातीय समूहों के अधिकारों के प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। इस तरह के धार्मिक क्षेत्र को ख़नन के लिये दिये जाने से डोंगरिया कोंढ के धर्म, धार्मिक स्थलों और संस्कृति के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े मुलभूत अधोकारों का हनन होगा। इसके अलावा, सीधे तौर पर वन अधिकार कानून के अन्य विशेष प्रावधानों के उल्लंघन से भी जुड़ा है।

शपथनाम में साफ तौर पर बताया गया है कि जहां इस तरह का गैर वन उपयोग करना अनिवार्य है वहांपर राज्य अपने विशेषाधिकार कि शक्तियों का उपयोग कर वन भूमि (जिसके उपर अधिकार की मान्यता मिली है या मान्यता मिलनी बाकी है) का हस्तांतरण कर सकता है। इस प्रकार से भूमि अधिग्रहण करने के लिये कुछ शर्तों का पालन होना जरुरी है।



- अधिकारों की मान्यता और उन्हे दिये जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी हो।
- पुनर्वास/वैकल्पिक पॅकेज को तैयार करके उसे लोगों के समक्ष रख़ा गया हो और लोगोंने उसे स्वीकार किया हो।
- ३) जन सुविधाओं के लिये वन भूमि का गैर वन उपयोग (जैसे कि एफ. आर. ए. की धारा ३(२) में बताया गया है) कि प्रक्रिया पूरी कर ली गयी हो।

इसके अलावा, जहां गैर वन उपयोग से अधिकार धारकों के जीवन का दर्जा प्रभावित होता हो या उनको धारा ५ में बताये गये फ़र्ज निभाने में बाधायें आती हो तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा की पुनर्वास के लिये स्वतंत्र जानकारी के आधार पर लिखित अनुमित/ सहमित लेना जरुरी है। चाहे ऊपर बताये गये बिंदुओं को पालन किया गया हो लेकिन जब तक की आदिम आदिवासी और कृषी पूर्व समूहों के अधिकरों पर ध्यान नही दिया जाता, तब तक गैर वन उपयोग को अनुमित नही दी जा सकती है।

अप्रैल १८, २०१३ के अपने आदेश में सर्वों च न्यायालय ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद २५ और २६ में जनजातियों और वन निवासियों कि धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। ये अनुच्छेद लोगों को ना केवल धार्मिक श्रद्धा और विश्वास को व्यवहार में लाने और उनके विस्तार के अधिकार को सुनिश्चित करता है बल्की उसके साथ ऐसे सभी धार्मिक अनुष्ठान और मान्यतायें जो धर्मका अभिन्न हिस्सा है को भी सुनिश्चित करता है। 'इसलिये लोगों के भगवान नियाम राजा की पूजा के अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करना जरुरी है'।

आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि उडीसा के रायगडा और कालाहांडी जिलों की ग्रामिण काऊंसिल निर्धारित करेगी कि वेदांता और ख़नन की परियोजना से उनके पूजा/धार्मिक अधिकारों का हनन हुआ है या नही।

अतः सर्वोच्च न्यायालय ने दो अधिकारों को माना है। पहला जनजातीय समूहों का संविधानिक अधिकार कि वे अपने जीवन को अपनी शैली में जी सकते हैं और दूसरा ग्रामिण काऊंसील को यह अधिकार है कि वे उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों के बारे में निर्णय ले सकते हैं।

७. ऊपर बतायी गयी एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता से जुड़ी तीन स्थितियों से एक या एक से अधिक स्थितियों के लागू होने पर गैर वन उपयोग की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पडेगा?

ऐसी स्थिति में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अगस्त ३, २००९ का सर्कुलर महत्त्वपूर्ण है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के जुलाई, २०१२ में जारी किये गये दिशा-निर्देशों में भी यह कहा गया है कि राज्य सरकारें यह सूनिश्चित करेगी कि वन संरक्षण कानून के तहत गैर वन उपयोग (ऐसे उद्देश्यों के लिये किया जाना जो वनों से संबंधित नही है) के प्रकरणों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ३०.७.२००९ सुधारित पत्र ३.८.२००९ में बताये गये निर्देशों का पालन किया जाये। हालही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने ३.८.२००९ के निर्देशों में सुधारना की है। यह सुधारित रूप ५.२.२०१३ को जारी किया गया है। इस संशोधन में यह निर्धारित किया गया है कि पाईपलाईन, सडकों के निर्माण, नहर आदि लम्बाई वाली परियोजनाओं



के लिये जन सुनवाई और ग्राम सभा के संकल्प की आवश्यकता नही होगी। इसमें से उन प्रकरणों को अलग रखा गया है जिन में आदिम जनजातियों और कृषी पूर्व समुदायों के मान्यता प्राप्त अधिकारों पर प्रभाव पडेगा। ऊपर बताये गये दिशा-निर्देशों, स्पष्टीकरण और अन्य स्पष्टीकरणों के साथ एफ. आर. ए. और एफ. सी. ए. के प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना के लिये चाही गयी वन भूमि के लिये एफ. आर. ए. से जुडी निम्नलिख़ित प्रक्रिया का पालन करना जरुरी होगा। इन प्रक्रियाओं को स्टेज - I की अनुमति के पहले पूरा करना आवश्य है ना कि स्टेज - II की अनुमति की प्रक्रिया में। इस पर स्पष्टीकरण वन सलाहकार समिति (एफ.ए.सी.) के २.४.२०१२ की मिटिंग दस्तावेज और जनजाति कार्य मंत्री के १९.११.२०१२ के पत्र में दिया गया है।

- क) गैर वन उपयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि में वननिवासियों के अधिकरों को पहले मान्यता:
- अगस्त २००९ के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सर्कुलर में उन द्स्तावेजों की सूची दी गयी है जिनको परियोजना प्रस्ताव के साथ लगाने की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों में से अधिकतर इस साक्ष्य से जुड़े हैं कि स्थान विशेष पर एफ. आर. ए. अधिकारों की मान्यता के लिये बतायी गयी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है।
- ऐसी स्थिति में जहां राज्य स्तर पर एफ.
 आर. ए. की प्रक्रिया की कोई शुरुआत नही हुई है, वहां संबंधित राज्य सरकार के द्वारा यह साक्ष्य देना ज़रुरी होगा जिस में यह बताया गया हो कि अंतिम अनुमित के

- पहले अधिकारों से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जायेगा।
- जुलाई २०१२ के दिशा-निर्देश यह भी बताते हैं की किसी भी स्थिति में अधिकरों को मान्यता के बिना किसी भी वन में निवास करने वाले को बेदख़ल नहीं किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में वन क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण के लिये बिना हस्तक्षेप वाला क्षेत्र निर्धारित किया जाना हो या अन्य किसी उद्देश्य के लिये वन भूमि को दिया जाना हो तो इससे विस्थापित होने वाले वननिवासी क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे।

एफ. आर. ए. के पालन से संबंधित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का ३.८.२००९ का सर्कुलर।

विषयः वन संरक्षण अधिनियम, १९८०, के अंतर्गत गैर वन उपयोग के लिये दिये जाने की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, २००६, के अनुपालन को सूनिश्चित करना।

वन संरक्षण कानून, १९८०, के तहत राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा दिये जाने वाले बिना शर्ते प्रस्तावों के साथ एफ. आर. ए. में निर्धारित अधिकारों से जुड़े साक्ष्यों को संलग्न करना ज़रुरी है। ये साक्ष्य अधिकारों को मान्यता दिये जाने के पूरा होने या प्रक्रिया के जारी रहने को स्पष्ट रूप में बताते है। इन साक्ष्यों का संबंध विशेष तौर पर एफ. आर. ए. की धारा ३(१) झ, ३(१) ङ और ४(५) से है। संलग्न किये गये साक्ष्यों को नीचे बताये गये रूपों में होना चाहिये।

 राज्य सरकार का एक पत्र जिस में यह प्रमाणित किया गया हो की प्रस्तावित



संपूर्ण वन भूमि में एफ. आर. ए. के तहत अधिकारों की पहचान एवं मान्यता की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पत्र में किये गये संबंधित सभी परामशों और मिटिंग के साक्ष्य भी शामिल होने चाहिये।

- राज्य सरकार द्वारा एक अन्य पत्र जिस में यह प्रमाणित किया गया हो कि वन भूमि से जुड़े प्रस्ताव को (परियोजना और इसके प्रभावों की विस्तृत जानकारी स्थानीय भाषा में) सभी संबंधित ग्राम सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिनके वन निवासी एफ. आर. ए. के अंतर्गत अधिकारों की पात्रता रखते हैं।
- उ. प्रत्येक संबंधित ग्राम सभा का इस विषय पर पत्र कि एफ.आर.ए. से जुड़ी सभी प्रक्रियांओं को पूरा कर लिया गया हैं। पत्र में यह भी बताया जाना चाहिये कि उनके (ग्राम सभा) परियोजना के लिये वन भूमि उपयोग और उद्देश्यों के बारे में पूरी जानकारी हैं तथा उनके द्वारा क्षति पूर्ति के उपायों के लिये स्विकृति है।
- ४. राज्य सरकार का इस विषय पर पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो की एफ.आर.ए. की धारा ३(२) में बताए गए जन सुविधाओं (सरकार द्वारा प्रबंधित) के कार्यों के लिए उपयोग में आनेवाली वनभूमि का गैर वन उपयोग ग्रामसभा की सहमती के बाद पूरा कर लिया गया है।
- ५. राज्य सरकार का इस विषय पर पत्र जिस में यह प्रमाणित किया गया हो कि परियोजना प्रस्ताव पर विचार–विमर्श और निर्णय जिस में हुए, उस ग्राम सभा में कम से कम ५० प्रतिशत सदस्य हाज़िर थे।

- ६. ग्राम सभा की प्रस्ताव पर सहमति या असहमति लिख़ित रूप में लेना।
- ७. राज्य सरकार द्वारा एक पत्र जिस में यह प्रमाणित किया गया हो की एफ. आर. ए. की धारा ३(१)ङ के लागू होने की स्थिति में आदिम जनजातीय समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों से जुड़े सुरक्षा के सभी उपायों को किया गया है।
- ८. ऐसे अन्य पहलू जो एफ. आर. ए. के क्रियान्वयन पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां एफ. आर. ए.के अंतर्गत अधिकारों से जुड़ी प्रक्रिया की अभी शुरुआत नही हुई है। ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश यह साक्ष्य देंगे की एफ. आर. ए. से जुड़ी अधिकारों की प्रक्रिया को परियोजना कि अंतिम अनुमति देने के पहले पूरा कर लिया जायेगा।

वन प्रशासन में घटते सामाजिक-पर्यावरणीय न्याय से जुड़े सरकार की पहल।

पर्यावरण वन मंत्रालय का गैर वन उपयोग के संदर्भ मे एफ. आर. ए. के अनुपालन से जुड़ा ३.८.२००९ के सर्कुलर को प्रभावी रूप से उपयोग कर के भारत के वनों को बचाया जा सकता था। परन्तु यह संभावना तब कम हुई जब केंद्र सरकार ने विनिवेंश पर कैबिनेट मंत्रीयों की एक समिति का गठन (सी.सी.आइ. – विनिवेंश पर केंद्रिय मंत्रीयों की समिति) कर दिया। वित्त मंत्रालय के इस पहल को परियोजनाओं के लिये वन और पर्यावरण अनुमति की गति को तेज़ करने के रूप में देखा गया। इस पहल से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शक्तियों में कमी आने



के साथ मंत्रालय की प्रसंगिकता भी नहीं के बराबर रह जाती। पर्यावरण मंत्री ने लिखित रूप में प्रधान मंत्री को बडी आधारभूत परियोजना की शीघ्र अनुमति दिये जाने के लिये सी.सी.ए. के गठन को लेकर अपनी गंभीर चिंताये बताते हुये लिखा कि 'यह विचार स्वीकार्य नहीं है।'

दूसरी तरफ, जनजाति कार्य मंत्री के. सी. देव ने अपने एक पत्र में पर्यावरण मंत्रालय के ऊपर आरोप लगाते हुये मंत्रालय द्वारा एफ. आर. ए. के पालन किये बिना परियोजना के लिये गैर वन उपयोग को गैर कानूनी बताते हुए विरोध जताया। जनजाति मंत्री का लगाया गया आरोप पर्यावरण मंत्रालय को दोषी ठहराता है। इस पत्र के माध्यम से मंत्रीजी ने तीन बिंद्ओं को महत्वपूर्ण रूप से बताया:

- २००९ के सर्कुलर में बताये गये नियमों
 का स्टेज I की अनुमित के पहले पालन होना चाहिये।
- २) एफ.सी.ए. में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होना चाहिये।
- 3) ग्राम सभा की उन मिटिंगो का विडियो टेप तैयार किया जाना चाहिये जिस में गैर वन उपयोग पर विचार किया गया हो। मंत्रीजी ने अपने अन्य एक पत्र (दिनांक ३.१२.२०१२) में वन संरक्षण कानून, १९८०, के तहत गैर वन उपयोग से जुड़े पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ३.८.२००९ के सर्कुलर का पालन होने को लेकर अपनी चिंताएं फिर से जाहिर की थी।

बादमे प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव पुलक चटर्जी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवों और जनजातिय कार्य मंत्रालय सदस्यों वाली एक समिति ने इस पर काम किया था की अधिकतर परियोजनाओं के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय एफ. आर. ए. को प्रक्रिया से बाहर रखे। समिति की रिपोर्ट में यह बताया गया है की जिन प्रकरणों में जन सुनवाई/परामर्श अन्य अनुमतियों के लिये हो चूका हैं तो ग्रामसभा की अनुमति को प्रक्रिया से अलग किया जाना चाहिये। इस निर्णय से अधिकतर परियोजनाओं के लिये जनजातिय समूह की अनुमति प्रसंगिक नही रह जायेगी। लम्बाई वाले परियोजना के विषय में प्रधान मंत्री कार्यालय का कहना था कि राज्य सरकार का यह प्रमाण पत्र कि एफ.आर.ए. की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है उपयुक्त होगा। समिति की इन अनुशंसाओं का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो संरक्षण, जीविका और मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ने कड़ें शब्दों में निंदा की है। संगठनों का तर्क इस चिंता पर आधारित है की सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय के संदर्भ में जनसूनवाई और ग्राम सभा को एक समान नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार का यह कहना है कि अधिकरों की मान्यता हो चूकी है उपयुक्त नही है। इस का परिणाम यह हुआ कि पर्यावरण

इस का परिणाम यह हुआ कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने नये सर्कुलर, ५ फरवरी,२०१३ में बताया है कि लम्बाई वाली परियोजना जैसे पाइप लाइन, सडक निर्माण, नहर आदि के लिये गैर वन उपयोग के लिये ग्राम सभा की आवश्यकता वाली शर्त के अनुमोदन को हटाया जा सकता है। इस में से उस स्थिति को अलग रख़ा गया है जिस में आदिम जनजातीय (विशेष रूप से संवेदनशील



जनजातीय समूह) या कृषि पूर्व समुदायों के अधिकार प्रभावित होते हैं।

ख़) प्रभावित होने वाली ग्राम सभाओं को परियोजना प्रस्ताव की पूरी जानकारी स्थानीय भाषा में उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

संबंधित सभी ग्राम सभाओं को परियोजना प्रस्ताव की पूरी जानकारी उपयुक्त स्वरुप मे उपलब्ध करानी चाहिये ताकी परियोजना के विषय और उससे पडने वाले प्रभावों को आसानी से समझा जा सके। २००९ के सर्कुलर में बतायें गये बिंद् (b) और (c) संभवतः बताते है कि:

- अ) राज्य सरकार के लिये यह जरूरी है की वह यह प्रमाणित करे की परियोजना से जुडी सभी जानकारियां स्थानीय भाषा में संबंधित सभी ग्राम सभाओं के समक्ष विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है।
- ब) सभी ग्राम सभाओं के लिये यह ज़रूरी है कि वे परियोजना से जुड़े तथ्यों, जानकारियों और उद्देश्यों से भलीभाती परिचित हो। उनका परियोजना के लिये भूमि उपयोग के साथ क्षति पूर्ति और अन्य उपायों के लिये सहमति लिख़ित रुप में देना अनिवार्य है।

ग) ग्राम सभा की कार्यवाही की रेकॉर्डींग:

ग्राम सभा की जिन सभाओं में प्रस्तावित परियोजना के लिये गैर वन उपयोग पर विचार किया गया हो उन सभाओं की रेकॉर्डींग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदू नीचे दिये गये है।

अ) अगस्त २००९ के सर्कुलर में बताया गया
 है की राज्य सरकार यह प्रमाणित करेगी
 की एफ. आर. ए. के तहत अधिकारों की

पहचान और निर्धारण कर लिया गया है। इसके पक्ष में राज्य सरकार किये गये परामर्शो और मिटिंग के सभी दस्तावेजों को संलग्न करेगी।

- आ) २४ मई, २०१२ के जनजातीय कार्य मंत्री के पत्र में यह बताया गया है की वन अधिकार कानून और गैर वन उपयोग पर ग्राम सभा के निर्णय से जुड़ी सभी मिटिंगों की विडियो रेकॉर्डिंग की जानी चाहिये। मिटिंग की टेपों को लोगों को उपलब्ध कराना चाहिये। इससे पारदर्शिता बढेगी और किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना कम होगी।
- इ) जनजाति कार्य मंत्री के १२ नवंबर, २०१२ के पत्र मे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वे ग्राम सभा की उन मिटिंगो की विडियोग्राफी को अनिवार्य करे जो मिटिंग वन परिवर्तन में एफ. आर. ए. के पालन करने से संबंधित है।
- घ) वन भूमि परिवर्तन से प्रभावित सभी गावों
 की संबंधित ग्राम सभाओं की गैर वन उपयोग, क्षतिपूति और अन्य उपयुक्त उपायों के लिये लिख़ित सहमति।

२००९ के सर्कुलर के अनुसार गैर वन उपयोग, क्षितिपूर्ति और अन्य उपयुक्त उपायों के लिये ग्राम सभा की अनुमित (जिस में ५०% से ज़्यादा ग्राम सभा के सदस्य उपस्थित हो) से ज़ुड़े विभिन्न दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर देना ज़रूरी है।

 सभी संबंधित ग्राम सभाओं से पत्र जिस में यह बताया गया हो की एफ.आर.ए. से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है। साथ ही ग्राम सभाने प्रस्तावित गैर वन



उपयोग से जुड़ी सभी जानकारियों और उद्देश्यों को समझने के बाद प्रस्तावित गैर वन उपयोग, क्षतिपूर्ति और अन्य उपयुक्त उपयों के पक्ष में सहमति दी है।

- राज्य सरकार द्वारा एक पत्र जिस में यह प्रमाणित किया गया हो कि ग्राम सभा के कोरम के कम से कम ५०% सदस्यों की उपस्थिति में प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद कोई निर्णय लिया गया है।
- परियोजना प्रस्ताव पर ग्राम सभा की लिखित सहमति या असहमति।

क्षतिपूर्ति के लिये वनीकरण के उपायों का वन अधिकारों पर प्रभाव

अगस्त २००९ के सर्कुलर में उन ग्राम सभाओं की अनुमित को ज़रूरी बताया गया है जिनकी सीमा में वन भूमि परिवर्तन परियोजना के पक्ष में होना है। इसके साथ ही उन ग्राम सभाओं की अनुमित को भी ज़रूरी बताया गया है जिनकी सीमाओं के भीतर परियोजना से जुड़े क्षितपूर्ति और संबंधित उपायोंको किया जाना है। सही मायनों में यह सर्कुलर उन सभी ग्राम सभाओं की अनुमित को ज़रूरी बताता है जहां भी परियोजना का वनों पर प्रभाव (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) पड़ेगा। परन्तु जिन क्षेत्रों में क्षितपूर्ति के लिये वनीकरण किया जाना है उन क्षेत्रों के स्थानीय समुदायों के अधिकारों की एफ. आर. ए. के तहत मान्यता की जांच नहीं होती है।

इस मुद्दे को वन अनुमित की प्रक्रिया में पूरी तरह से अनदेखा कीया गया है। यह समझना जरुरी है कि कुछ मुद्दों को पर्यावरण अनुमित (इ. आय. ए. अधिसूचना, २००६) की प्रक्रिया में कम से कम एक परियोजना के लिये स्वीकृत किया गया है और हमारी जानकारी में यह एक मात्र ऐसी परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में स्थित २७०० मेगावाट की लोअर सियांग जल विद्युत परियोजना के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पर्यावरण प्रभाव आंकलन से जुड़ी शर्तों मे कहा गया है कि जलागम क्षेत्र उपचार और क्षतिपूर्ति के लिये वनीकरण के प्रभावों को संसाधनों के वर्तमान उपयोग और स्थानीय समुदायों के अधिकारों, विशेष कर एफ. आर. ए. के संदर्भ मे प्रभावों, का आंकलन होना चाहिये।

ङ) लाभ-लागत विश्लेषण पर भी विचार।

एफ. सी. ए. के तहत उन सभी परियोजनाओं लाभ–लागत विश्लेषण आवश्यकता है, जिस में वन भूमि उपयोग में लायी जाने वाली है। मैदानी क्षेत्रों के लिये २० हेक्टेयर से ज़्यादा वन भूमि और पहाडी क्षेत्र के लिये ५ हेक्टेयर की वन भूमि से जूड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इस सीमाओं में सडकों. टॉवर लाइन. छोटे-मध्यम और बडी सींचाई परियोजनाओं, जल विद्युत परियोजना, ख़नन, रेल्वे लाईन, स्थान विशेष पर माईक्रोवेव्ह स्टेशनों. आटो रिपीटर केंद्र, टी.वी टावर, आदि परियोजनाओं को शमिल किया गया है। लागत-लाभ विश्लेषण का उद्देश्य^९ इस बात को परख़ना है कि वन भूमि का हस्तांतरण ऐसे उद्देश्यों के लिये करना जो वन से संबंधित नही हैं परन्तू क्या उद्देश्य जनहित के पक्ष में है? एफ. आर. ए.

९. देखे Handbook of Forest (Coservation) Act,1980, Annexure vi (a)।



के लागू होने के बाद वन निवासियों को वनों के उपयोग, पहुंच, प्रबंधन, और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता मिली है। इसलिये लागत-लाभ विश्लेषण में प्रभावित होने वाले अधिकारों को शामिल किया जाना उचित होगा। जैसा की बाक्स में (परियोजना से प्रभवित परियोजना क्षेत्र के बाहर भी हो सकता है) बताया गया है।

८) ऊपर बाताये गये सर्कुलर और स्पष्टीकरणों का पालन कितना हुआ है?

वनाधिकार कानून ३१ दिसंबर २००७ से प्रभाव में आया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इससे जुड़ा सर्कुलर २००९ में जारी किया था। पहली बार एफ. ए. सी. (वन सलाहकार समिति) १० ने अपनी २ अप्रैल २०१२ की मिटिंग में २००९ के सर्कूलर को एजेन्डे में शामिल किया। इसपर विचार करने के बाद एफ. सी. ए. ने यह निष्कर्ष निकाला की सामान्य तौर पर इस सर्कुलर का पालन अभी तक नही हुआ है। एफ. ए. सी. में सर्कूलर के पालन का आग्रह करते हुए यह बताया कि किसी परियोजना प्रस्ताव को तब तक पूर्ण नहीं माना जायेगा जब तक कि सर्कुलर में बताये गये नियमों के अनुरुप एफ. आर. ए. से जुड़े दस्तावेजों को परियोजना प्रस्ताव के साथ नही दिया जाता है। इन दस्तावेजों को पूरे भरे हुए फार्म के साथ स्टेज I की अनुमित पर विचार के लिये देना होगा। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी कि वे इस सर्कुलर को ध्यान में रख़ते ह्ये यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को पूरी तरह सुनिश्चित किया गया हो जिस में आदिम जनजाति समूह भी शामिल हैं। यह भी तय किया जाना चाहिये कि वन क्षेत्रों पर रहने वाले और वनों पर निर्भर लोगों के विषय से जुड़े ग्राम सभाओं के सभी ज़रुरी संकल्पों को ले लिया गया है। एफ. ए. सी. ने ३ अगस्त २००९ के सर्कुलर में किसी भी तरह की अस्पष्टता को पूरी तरह से नकारा है।

इसी मीटिंग में एफ. ए. सी. ने यह अनुशंसा दी कि राज्य सरकार प्रस्तावित गैर वन उपयोग से जुड़े एफ. आर. ए. के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारों को मान्यता दिये जाने के संदर्भ में वो दस्तावेजी साक्ष दे जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्र. 11-9/1998-FC (Pt.) दिनांक ३.८.२००९ के पत्र में बताये गये हैं। एफ. ए. सी. ने यह अनुशंसा दो परियोजना प्रस्तावों के लिये दी थी। इस में से एक परियोजना मणिपूर में ट्रांसिमशन लाइन का था और दूसरा मध्य प्रदेश की ओपन कास्ट कोयला ख़नन परियोजना का प्रस्ताव था।

इस के बाद की २७ नवंबर २०१२ को आयोजित एफ. ए. सी. की मिटिंग के विवरण में एफ.आर.ए के तहत अधिकारों के निर्धारण से जुड़ी प्रक्रिया पर चर्चा की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद की मीटिंग जो २२.१२.२०१२ को हुई थी उसमे विषय १२ और १३ के अंदर बतायी गयी उडीसा के दो ख़नन परियोजनाओं के पक्ष में अनुमोदन कर दिया। अनुमोदन यह मानते हुये किया गया की एफ. आर. ए. के तहत ज़रूरी अधिकारों की मान्यता इन परियोजनाओं के लिये नहीं हुई है।

इन दो परियोजनाओं के पक्ष में वन भूमि के लिये एफ. ए. सी ने सभी वननिवासियों को

^{90.} पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजे गये सभी प्रस्तावों की जांच वन सलाहकार समिती द्वारा की जाती है और समिति प्रस्तावों पर अपने विचार और सलाह देती है। प्रश्न २ मे भी इसके बारेमे बताया गया है।



अतिक्रमण करने वाला कहते हुए उन्हे बेदख़ल करने का आदेश दे दिया था। यह आदेश अपने आप में वन अधिकार कानून का उल्लंघन है। किसी भी वननिवासि को एफ. आर. ए. के तहत अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया पूरे हुए बिना अतिक्रमण करने वाला कहना कानूनी रूपसे गलत शब्दावली है।

एफ.ए.सी. के दिनांक २२.१.२०१३ की मीटिंग मे हिमाचल प्रदेश की लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिये गैर वन उपयोग के पक्ष में कहा गया था। जबकि यह माना गया कि २००९ के सर्कुलर का पालन नहीं हुआ है और एफ. आर.ए. के तहत मान्यता भी नही दी गयी है। इस निर्णय की आलोचना कई संरक्षण और मानवाधिकार से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने की थी। एफ.ए.सी. ने अपने निर्णय को उचित ठहराने के लिये मीटिंग मिनट में हिमाचल प्रदेश के मूख्य सचिव (वन) के पत्र दिनांक २०.९.२०१२ का हवाला दिया था। इस पत्र में कहा गया था कि जिला आयुक्त का प्रमाण पत्र पर्याप्त है जिसमे यह बताया गया हो कि वहां अधिकारों का निर्धारण हो चुका है। यह विशेष परिस्थिति से संबंधित है जिस में 'माननीय मुख्य मंत्री के अधिकारों के अनुसार और पूरे राज्य में वन भूमि पर छूट जिस में ऐसे जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जो लम्बे समय से हैं और जिनको आवासीय रिपोर्ट में रिकार्ड किया गया है। और एफ. आर. ए. के पालन करने को लेकर ऐसे कोई मुद्दें नहीं है जिनको तय किया जाना हैं।'

 गैर वन उपयोग से होने वाले एफ. आर.
 ए. के उल्लंघन के मुद्दों को उठाने के लिये वनवासीयों के पास कौन से विकल्प हैं? यहां कुछ विकल्पों को बताया गया हैं जिनका उपयोग कर के वननिवासि गैर वन उपयोग के कारण होने वाले एफ. आर. ए. के उल्लंघन के मुद्दों को उठा सकते हैं।

अ) राज्य स्तरीय निगरानी समिति को ग्राम सभा का प्रस्तावः

गैर वन उपयोग से अधिकारों की पात्रता वाले लोगों के अधिकारों में पड़ने वाले प्रभावों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने की स्थिति में ग्राम सभा को एफ. आर. ए. की धारा ७ और ८ के तहत इस के ख़िलाफ निम्नलिख़ित कार्यवाही का कानुनी अधिकार है।

यदि कोई अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति एफ. आर. ए. का पालन नही करते है तो उसे एफ. आर. ए. की धारा ७ के तहत दोषी माना जा सकता है। ग्राम सभा ऐसे अधिकारी के विरुद्ध प्रस्ताव को कार्यवाही के राज्यस्तरीय निगरानी समिति के पास भेज सकती है। इस तरह के प्रस्ताव को ग्राम सभा कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पास करेगी की जैसा नीचे बताया गया है।

- ग्रामसभा के मिटिंग का कोरम ६६% होना चाहिये।
- मिटिंग का स्तर सरकार द्वारा गठित वन अधिकार स्तर पे होना चाहिये।
- मिटिंग में पारीत प्रस्ताव और सदस्यों के हस्ताक्षर को मिटिंग के लिये निर्धारीत रिजस्टर में दर्ज किया जाना चाहिये और जहां संभव हो वहां मिटिंग की विडियो रेकॉर्डिंग भी की जानी चाहिये।
- 99. यह अनुभाग कॅम्पेन फॉर सर्व्हावल अँड डिग्निटी (CSD) के संकेतस्थल पर आधारित है। यह CSD के Using the Forest Rights Act Against Displacement & Large Projects and is available at http://www.forestrightsact.com/resources-for activists/item/18 नामक पॉलिसी ब्रीफ़ पर आधारित है।



 मीटिंग के लिये नोटिस को मीटिंग के पहले उपयुक्त कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए जारी किया जाना चाहिये।

ग्राम सभा के संकल्प / प्रस्ताव में निम्नलिख़ित जानकारियां होनी चाहिये

- समुदाय और उनके वनों पर निर्भरता पर संक्षिप्त विवरण।
- विस्तार से यह जानकारी होनी चाहिये कि कैसे गैर वन उपयोग से लोगों की प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर और वन संसाधनों के संरक्षण का दायित्व (जिम्मेदारी) और अधिकार प्रभावित होंगे।
- प्रस्ताव में प्रक्रिया के उल्लंघन और ग्राम सभा की आपत्तियों (धारा ७ के अनुसार) का विवरण दिया जाना चाहिये जैसे क्या ग्रामसभा की अनुमित ली गयी थी? क्या परियोजना से जुड़ी सभी जानकारियां दी गयी थी और परामर्श हुआ था? क्या अधिकारों के मान्यता की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी थी? क्या ग्रामीणों ने गैर वन उपयोग और विस्थापन के लिये सहमित दी थी?

राज्यस्तरीय समिती से ६० दिनों तक कोई भी जवाब न आने की स्थिति में न्यायालय जाया जा सकता है।

आ) उल्लंघनों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या जनजातीय कार्य मंत्रालय की जानकारी में लाना:

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन संरक्षण कानून से जुड़ी केंद्रीय संस्था है और एफ.आर.ए. जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। हाल ही में एफ. आर.ए. के अनुपालन न होने के मुद्दे को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष उठाने में जनजातीय मंत्रालय के मुख्यमंत्रीयों को लिख़े पत्रों (२४.५.२०१२^{१२} और १२.७.२०१२^{१३} के पत्र) को इस मुद्दे से जोडकर देख़ा जा सकता है।

पीटीशनों और पत्रो के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/जनजातिय कार्य मंत्रालय की जानकारी में एफ. आर. ए. के पालन नहीं होने से जुड़े तथ्यों को लाया जा सकता हैं। मंत्रालयों के भेजी गयी जानकरियों में साफ तौर पर उल्लंघनों और उठायी गयी आपत्तियों को बताते हुए साथ में ज़रुरी और उपयोगी दस्तावेजी साक्ष्य को भी देना चाहिये (पत्र/ पीटीशन के साथ संलग्न कर के)।

प्रमुख निदेशक (वन), दिल्ली कार्यालय और राज्य सरकार के मुख्य सचिवों के कार्यालय से गैर वन उपयोग की प्रक्रिया में एफ. आर. ए. से जुड़ी जानकारियों को एकत्र करने के लिये सूचना के अधिकार का उपयोग महत्त्वपूर्ण होगा। संबंधित प्रमुख कार्यालयों से पत्र व्यवहार नीचे बताये गये पते पर कर सकते है।

- जन जातिय कार्य मंत्रालय (सचिव, जनजातिय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – ११०००१।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प्रमुख वन निदेशक, सदस्य सचिव, वन सलाहकार
- १२. देख्रे MoTA K. C. Deo's letter highlighting the issues of FRA violations in forest diversion to state Chief Ministers at http:// tribal.gov.in/writereaddata/linkimages /24may20126713834206.pdf
- 93. देख्ने Guidelines issued by MoTA to Chief Secretaries of all State government & the administrators of all Union Territories regarding implementation of the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, at http://tribal.gov.in/ writereaddata/mainlinkfile/file1416.pdf



समिति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली – ११०००३।

इन पत्रों की प्रतियां राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, राज्य के जनजातीय कल्याण विभाग और जिला कलेक्टर को भी भेजी जा सकती हैं।

90) फॉरेस्ट क्लिअरन्स⁹⁸ के खिलाफ राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (प्राधिकरण) (एन. जी.टी.) में अपील कैसे करे?

वन संरक्षण कानून, १९८० के तहत केंद्र सरकार के स्टेज II की अंतिम अनुमित मिलने के बाद राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश एफ.सी.ए. की धारा २ के अंतर्गत वन भूमि परियोजना के उद्देश्यों के लिये दिये जाने का आदेश पारित करता है। राज्य सरकार के इस आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष (जैसा का एफ.सी.ए. की धारा २ और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की धारा १६(ड) में प्रावधान है) कर सकते है।

यह राष्ट्रीय ग्रीन प्राधिकरण के एक आदेश, ७.११.२०१२, अपील नं. ७/२०१२ (विमलभाई और ए.एन.आर. बनाम भारतीय संघ और अन्य) में स्पष्ट किया गया है। अपने आदेश के बिंदु ३१ में प्राधिकरण में बताया कि:

'संबंधित आदेश को केंद्र सरकार द्वारा स्टेज ख और स्टेज खख पर लगायी गयी शर्तों को वेबसाईट पर दिख़ाना ज़रुरी हैं... इसके अलावा राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी की परियोजना प्रमुख दी गयी पूरी अनुमित को शर्तों और सुरक्षा उपायों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने वाले एक स्थानीय भाषा और एक अंग्रेजी भाषा के समाचार दैनिक में प्रकाशित करवायेगा। इसका उद्देश्य लोगों को परियोजना के लिये गैर वन उपयोग की पूरी जानकारी हो सके। अपील करने कि प्रक्रिया उस तारिख़ से शुरु होगी जब परियोजना की जानकारी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई हो। साथ में उस तारिख़ से जब वन परिवर्तन के लिये दी गयी वन अनुमति को संबंधित राज्य सरकार या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाईट में उपलब्ध हो, जैसी स्थिति हो।'

उपरोक्त आदेश स्पष्ट करता है कि:

राज्य सरकार द्वारा एफ.सी.ए. की धारा २(क) तहत पास आदेश के विरुद्ध एन. जी. टी. की धारा १६(ड) के तहत अपील की जा सकती है। दायर की गयी अपील में केंद्र सरकार द्वारा एफ. सी. ए. की धारा २ के अंतर्गत दी गयी अनुमित से असंतुष्ट व्यक्ति अनुमित के ख़िलाफ अपनी आपत्तियां दे सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार की अनुमित राज्य सरकार के अंतिम आदेश का अभिन्न हिस्सा है जिसे अलग करके नहीं देख़ा जा सकता है।

इस से यह साफ होता है कि केंद्र सरकार की अनुमति की प्रक्रिया (जिस में एफ.आर.ए. का ३.८.२००९ के सर्कुलर का पालन करना शामिल है।) राज्य सरकार के उपयोग कर्ता संस्था के पक्ष में गैर वन उपयोग किये जाने की आदेश का आधार बनता है। इसे राष्ट्रीय ग्रीन प्राधिकरण में चुनौती दी जा सकती है।

यह समझना जरुरी है कि कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा सैध्दांतिक वन अनुमित, स्टेज I या अंतिम अनुमित, स्टेज II को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिये स्वतंत्र है। परंन्तु, राष्ट्रीय ग्रीन प्राधिकरण में अपील राज्य सरकार के आदेश के बाद हि की जा सकती है, उसके पहले नहीं की जा सकती है।

१४. परियोजनाओं के लिये वन भूमि का गैर वन उपयोग करने हेतु अनुमती देना।

लेजिस्लेशन ब्रीफ अप्रैल, २०१३

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मानयता) अधिनियम, २००६ (एफ.आर.ए.) एवं वन संरक्षण अधिनियम, १९८० (एफ.सी.ए.) के अंतर्गत वनों का गैर वन उपयोग (एफ.सी.ए. के तहत वनोंक गैर वन उपयोग की प्रक्रिया में एफ.आर.ए. की भूमिका के कुछ पहलू)

सहयोग: यह लेजिस्लेशन ब्रीफ शीबा देसोर द्वारा अनुराधा अर्जुनवाडकर, आशिष कोठारी, नीमा पाठक, मंजू मेनन, नीरज वाघोलिकर, कांची कोहली और मिलिंद वाणी के सहयोग से तैयार किया गया है।

प्रकाशक:

कल्पवृक्ष,

अपार्टमेंट ५, श्री दत्त कृपा, ९०८ डेक्कन जिमखाना, पुणे – ४११ ००४, महाराष्ट्र (भारत)

फोनः ९१-२०-२५६७५४५०

इ-मेलः kvoutreach@gmail.com

वेबसाईट: www.kalpavriksh.org

हिन्दी अनुवाद: विकल समदरिया

संपादक: मिलिंद वाणी

संपादकीय सहयोग: अनुराधा अर्जुनवाडकर

आर्थिक सहयोग: मिजेरिओर, आचेन, जर्मनी

निजी वितरण के लिये प्रकाशित विषयवस्तु (प्रिंटेड़ मॅटर) बुक पोस्ट सेवा में –